ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-8* October- 2020
Innovation The Research Concept

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण: भविष्य की राह

Rural Women Empowerment: The Way To The Future

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 27/10/2020, Date of Publication: 28/10/2020

सरिता कुमारी
पूर्व शोधार्थी,
समाज शास्त्र विभाग,
बी. आर. ए. बी. यू.
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

एक महिला अपने आप में संपूर्ण है। महिला के अंदर सृजन, पोषण और परिवार की ताकत है। भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की अवधारणा अनंत काल से मौजूद रही है। हालांकि यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरी तरफ, महिलाओं की स्थिति चुनौतिपूर्ण है। खासकर ग्रामीण महिलाओं की परिवार के फैसले में भूमिका की बात तो दूर, वे अपनी जिंदगी के लिए भी आवाज नहीं उठा पाती हैं। महिलाएं अपनी जिंदगी में पुरूषों के अधीन रही हैं। मॉ , पत्नी और बेटी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के पालन में उन्हे तमाम कठिनाईयों से दो– चार होना पड़ता है।

हाल के दिनों में ग्रामीण महिलाओं के जीवन के रूप में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुआ है। ग्रामीण महिलाएं अब घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में बाधाओं को दूर कर रही हैं। चाहे तकनीक का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष विज्ञान, खेल या सेना सभी जगहों पर महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

सरकार ने भी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए हैं। इसके अंतर्गत, मुद्रा योजना, स्टैंड– अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह योजना ने ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने में सहायता की है।

A woman is perfect in herself. The woman has the power of creation, nutrition and family. The concept of women power has existed in Indian culture since time immemorial. However this is one aspect of the picture. On the other hand, the status of women is challenging. Particularly far from the role of rural women in the family's decision, they are unable to raise their voice even for their lives. Women have been subject to men in their lives. As a mother, wife and daughter, they have to face a lot of difficulties in fulfilling their responsibilities.

In recent times there has been a significant change in the form of the lives of rural women. Rural women are no longer confined to the boundary walls of the home. Women are now removing obstacles in every field. Whether it is in the field of technology or space science, sports or army, women are making their presence all over the world.

The government has also made efforts for rural women empowerment. Under this, the Mudra Yojana, Stand-up India, Start Up India, and Self-Help Group Scheme under National Rural Livelihoods have helped to make rural women financially secure and independent.

मुख्य शब्द : ग्रामीण, सरकार, महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता ।
Rural, Government, Women Empowerment, Gender Equality.

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनितिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। उनमें इस प्रकार की क्षमता का विकास करना जिससे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकें एवं उनके अंदर आत्म विश्वास और स्वाभिमान जागृत हो।

महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख अवयव ग्रामीण महिला सशक्तिकरण है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटक है जिसको समझने के लिये हमें अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक ढ़ाचे सहित उसके बहुआयामी प्रभाव पर चिन्तन करना होगा जिसमें असमानता गहरे रूप में विद्यमान है।

ग्रामीण महिलाएं हमेशा भारतीय समाज का एक उपेक्षित वर्ग रही हैं। ऑकड़ों से पता चलता है कि कृषि कार्यों में 86.1 प्रतिशत महिलाएं संलग्न है

जबकि इस व्यवसाय में पुरूषों की भागीदारी 74 प्रतिशत है। परंतु, महिलाओं को खेती में पारंगत बनाने के लिए कोई कौशल विकास कार्यक्रम शायद ही चलाया जा रहा है। 7.1 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं विनिर्माण क्षेत्र में काम करती हैं, जबकि इस क्षेत्र में पुरूषों की भागीदारी 7 प्रतिशत है।

समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत विश्वभर में लिंग समानता आंदोलन के महत्त्वपूर्ण आधारों में एक है। देश के ग्रामीण हिस्सों में वेतन असमानताएं हमेशा प्रचलित रही है। वर्ष 2004–2005 के अंत में जुताई जैसे कार्यों में महिलाओं की तुलना में पुरूषों को 70 प्रतिशत अधिक वेतन मिल रहा था, मार्च 2012 के अंत में यह अंतराल बढ़ कर 80.4 प्रतिशत और 2013– 14 के 93.6 प्रतिशत हो गया।

ग्रामीण भारत में गिनी– चुनी महिलाओं का स्वामित्व भूमि अथवा उत्पादक परिसंपत्तियों पर होता है। इससे उन्हें बैंक आदि संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है। अधिसंख्य कृषि श्रमिक महिलाएं हैं और उन्हें मुख्य रूप से शारीरिक श्रम के कार्य सौंपे जाते हैं। पुरूष ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं, जिनमें मशीनरी शामिल होती है। ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक महिला कामगार कृषि के क्षेत्र में है, इसलिए महिला हितों की बात करने वाली कोई भी नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कृषि में बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त है। स्वरोजगार की सबसे विचित्र विशेषताओं में से एक है ग्रामीण क्षेत्रों में बिना वेतन के कार्य में महिलाओं की बहुत अधिक हिस्सेदारी। इस प्रकार के कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी 73 प्रतिशत है।

भारत में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा अशिक्षित होना है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ती चली जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 82. 44प्रतिशत है तथा महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। भारत में 27,29,50,015 लोग आज भी निरक्षर हैं, जिनमें 9,6568351 पुरूष तथा 17,631664 महिलाएं साक्षरता से वंचित है। कुल भारतीय महिलाओं में 34.54 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं। महिला– पुरूषों की साक्षरता का अंतर आज भी 16.68 प्रतिशत है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की राह में महिला स्वास्थ्य सेवाओं की कमी सबसे बड़ी समस्या बन के सामने आई है। भारत में ज्यादातर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पोषण में कमी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला ऐनेमीया से पीड़ित है।

महिला को सुरक्षा देने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास अभी भी बौने साबित हो रहे और महिला अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यरों की रिपोर्ट के अनुसार हर 34 मिनट पर एक महिला के साथ बलात्कार, हर 43 मिनट में एक महिला का अपहरण, हर 26 मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़, हर 24 घटे में 17 महिलाएं दहेज हत्या की शिकार होती है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ''जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक इस दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।'' यह कथन आज भी उतना ही सत्य है और अवसर मिलने पर आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने तमाम सीमाओं–बंधनों के बावजूद सराहनीय काम किया है।

ग्रामीण महिलाएं भी अब पीछे नहीं रहीं हैं। घर की चार दीवारी से निकल कर वे हर व्यवसाय में आगे बढ़ रही हैं। 70 से 80 फीसदी कृषि कार्य आज महिलाओं द्वारा किया जा रहा है तथा कृषि श्रम में उनकी भागेदारी 66 प्रतिशत है। चाहे तकनीक हो या अंतरिक्ष विज्ञान, खेल या सेना, सभी जगहों पर महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। देश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हर पांचवी महिला उद्यमी है।

इस बदलाव को लाने में हाल के वर्षों में सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। गर्भ में पल रही कन्या शिशु से लेकर कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं तक की सुरक्षा की जरूरत को महसूस करते हुए कई कदम उठाए गए हैं। मातृत्व के सफर के जरिये महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार का अहम एजेंडा है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जैसी स्कीम गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं और सुकन्या योजना जैसे कार्यक्रम बच्चियों को भ्रूण हत्या का शिकार बनने से बचाने से लेकर लड़कियों की शिक्षा और वित्तीय सुरक्षा तक सुनिश्चित करते हैं। एक स्वस्थ्य महिला ही सशक्तिकरण से जुड़ी हो सकती हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्ज्वला योजना आदि भारतीय ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों का ख्याल रखती है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नवबंर 2017 तक लगभग 712 जिलों में करीब 3.2 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड–अप इंडिया , स्टार्ट–अप इण्डिया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत स्व्यंसहायता समूह योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने में सहायता की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भी महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अहम भूमिका निभाई है। दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत सूक्ष्म ऋण योजना महिलाओं के स्व्यंसहायता समूह के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन आर्थिक गतिविधियों के लिए परिवारों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है। 31 लाख से भी अधिक महिला स्व्यंसहायता समूह और 3.6 करोड़ महिलाएं वर्तमान में इस मिशन से जुड़ी हुई हैं।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के ऐजेंडे में सभी जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा का मामला बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, 181 महिला हेल्पलाइन, पैनिक बटन आदि सशक्तिकरण यात्रा में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार है।

पंचायतीराज व्यवस्था ने महिला सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटे आरक्षित की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल 2017 को महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉड्यूल शुरू किया।

उद्देश्य

1. ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, पहलू का अध्ययन करना।
2. बदलती ग्रामीण महिलायों की स्थिति के विषय में पता करना ।
3. महिला सशक्तिकरण में पंचायती राजव्यवस्था का योगदान।
4. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
5. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में तकनीक का योगदान का अध्ययन।
6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन।
7. महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति का अध्ययन करना।
8. महिलाओं की शिक्षा की स्थिति का आकलन करना।

निष्कर्ष

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं को घर, परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता, स्वतंत्रता व मुक्ति का बोध कराकर इतना सशक्त व सक्षम बनाया जाए कि वे अपने जीवन में व्यक्तिगत व सामाजिक निर्णय लेने की हकदार हो जाएं।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कथन है– ''महिलाओं की स्थिति ही देश के विकास को सूचित करता है। लेकिन भारत में आज भी महिलाएं खासतौर से ग्रामीण महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की मुख्यधारा में जुड़ने में रूकावट महसूस करती है।

विभिन्न बाधाओं को पार करती हुई ग्रामीण महिलाएं सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों के बलबूते सशक्तिकरण की दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। सशक्त ग्रामीण महिलाए ही समाज और देश को सशक्त कर सकती हैं।

संदर्भ सूची

1. *योजना, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, अक्टूबर 2018, पृष्ठ–42–45*
2. *कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, जनवरी 2018, पृष्ठ– 12–13*
3. *आर्थिक समीक्षा 2014–15 वित्तमंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली पृष्ठ– 142–143*
4. *महिपाल, पंचायती राजः अतीत वर्तमान और भविष्य, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली 1996, पृष्ठ– 22–23*
5. *रजनी कोठारी, राजनीति की किताब, वाणीप्रकाशन, नई दिल्ली, 2002 पृष्ठ 106*
6. *नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ इम्प्लॉयड वूमेन, श्रमशक्ति रिपोर्ट, नई दिल्ली 1988*
7. *योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मार्च 2015, पृष्ठ–25*